BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 665/2025

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 06.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 06.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 19.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 24.01.2026 ALONG WITH A SATELLITE IMAGERY OF THE SHAHJAHAN PARK COLLECTIVELY ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-4**	

6.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 28.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE- 5**	
7.	COPY OF THE SAID LETTERS DATED 07.03.2025 AND 1.10.2025 ARE BEING ANNEXED COLLECTIVELY HEREWITH AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 02.12.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-7**	
9.	LATEST INSPECTION PHOTOGRAPHS OF THE SHAHJAHAN PARK ARE BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE- 8**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE DFO, AGRA

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

Date: 23.03.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 665/2025

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, RAJESH KUMAR aged about 36 years S/o RANG LAL MEENA, presently posted as DFO AGRA, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel

248/2026

NOTARY

23-3-2026

on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the Applicant in the present O.A has raised grievances regarding the alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.

4. That the above mentioned O.A was listed for hearing on 23.12.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

   "6. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

   7. Issue notice to the respondents."

II. REPLY IS AS FOLLOWS:

5. It is submitted that in compliance of the order of the Hon'ble Tribunal, the Deponent vide letter dated 06.01.2026 addressed the Vice Chairman, Agra Development Authority to take necessary actions as required regarding the

illegal constructions along with the issue of illegal felling of trees and submit its compliance report to the Deponent at the earliest.

A copy of the said letter dated 06.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-1**

6. It is submitted that the Deponent vide letter dated 06.01.2026, addressed the Municipal Commissioner, Municipal Corporation to take the necessary steps as required regarding the illegal felling of trees and submit its compliance report to the Deponent at the earliest.

   A copy of the said letter dated 06.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-2**

7. Further, It is submitted that the Deponent vide letter dated 19.01.2026, directed the Range Forest Officer, Agra (City) to inspect the sites in question and submit an inspection report.

   A copy of the said letter dated 19.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-3**

8. That in compliance of the above directions, vide letter dated 24.01.2026, the Range Forest Officer has reported to the Divisional Director, that during the site inspection on 24.01.2026, the following was observed:

- **i.** An inspection of the selfie point developed by the Agra Municipal Corporation at Madhu Nagar on the Agra–Gwalior Road was conducted. That during the inspection, no evidence of felling of illegal trees was found.
- ii. Shahjahan Park does not fall under the ownership of the Forest Department. Within the park, various works are being carried out by the Agra Development Authority for beautification purposes. Upon inspection of the site, **no illegal felling of any trees was found.**
- iii. Further, with regard to the allegation of destruction of trees during the metro rail project construction work, the matter is currently under consideration before the Hon'ble Central Empowered Committee, New Delhi.

A copy of the said letter dated 24.01.2026 along with a satellite imagery of the Shahjahan Park collectively are being annexed herewith as **ANNEXURE-4**

9. It is submitted that in response of the letter dated 06.01.2026 addressed to the Municipal Corporation, the Municipal Corporation vide letter dated 28.01.2026 has informed that in accordance with the annual targets set by the Government for plantation, tree plantation has been carried out at various locations in the city. **That further, an "Eco Green Point" has been developed at a vacant site in front of Defence Land in Madhu Nagar,**

where 1,796 new saplings have been planted. The species and the number of trees and other relevant information has also been disclosed in the said letter. That further, it is submitted that existing trees remain intact.

A copy of the said letter dated 28.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE- 5**

10. It is submitted that in response of the letter dated 06.01.2026 addressed to the ADA, the ADA vide letter dated 07.03.2026 has submitted that for the protection of plants in Shahjahan Park, and for examination and verification of the ASI boundary along with the composite plan, a Joint Committee comprising of: 1. Secretary, Agra Development Authority, Chairperson 2. Finance Controller, Agra Development Authority Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India (ASI) 3. Deputy Director, Horticulture, Agra Division 4. Sub-Divisional Officer (SDO), Forest Department, Agra 5. Executive Engineer, Nagar Nigam, Agra was constituted on 1.10.2025.

Copy of the said letters dated 07.03.2025 and 1.10.2025 are being annexed collectively herewith as **ANNEXURE-6**

11. It is submitted that accordingly, the Joint Committee had conducted a site inspection on 27.10.2025 and, vide letter dated 02.12.2025, submitted the following recommendations, the relevant extract of which is as under:

   i. ***"For carrying out thematic transformation work in Shahjahan Park, it would be appropriate to undertake construction activities only after applying to the competent authority / National Monuments Authority and obtaining the requisite No Objection Certificate (NOC) as per rules.***

   ii. ***Due to excavation/works carried out on-site for sculptures, the roots of trees have become exposed. Therefore, it appears appropriate that further work be undertaken only after conducting an environmental assessment through an institution recognized by the Government of India/Uttar Pradesh Government, and on the basis of the environmental assessment report, so that it can be ensured that there is no harm to the trees."***

   A copy of the said letter dated 02.12.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE-7**

12. That further, with regards to the alleged illegal heavy concretization underway in the Shahjahan Park, the Range Forest Officer, had conducted a site inspection on 19.03.2026, wherein it was found that some excavation and concretization had been done. **That further, it was also reported that at present, all construction work is halted and no work is going on presently.** Latest inspection photographs of the Shahjahan Park are being annexed herewith as **ANNEXURE- 8**

13. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

14. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

Divisional Director
Social Forestry Division
AGRA

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 23 day of March, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

248/2026

23/3/2026

DEPONENT

Divisional Director
Social Forestry Division
AGRA

ATTESTED
23-3-2026
Devi Prasad Pandey (Advocate)
DISTT. NOTARY
R. No. 10942/2015
Gazetted Officer, Agra

ANNEXURE-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 3190 / 35-3 आगरा, दिनांक, जनवरी, 06-01- 2026

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0– 665/2025 **जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।**

संदर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश का संदर्भ ग्रहण करें, छायाप्रति संलग्न। प्रश्नगत प्रकरण जो आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने तथा आगरा–ग्वालियर हाईवे पर हरियाली नष्ट कर सेल्फी प्वाइंट विकसित किये जाने इत्यादि से सम्बन्धित है।

मा0 अधिकरण द्वारा अपने संदर्भित आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के भीतर रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैः–

1. In this original application (OA), the applicant has alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.

2. The applicant alleges that the Agra Development Authority is constructing kiosks, paved paths, and brick-cement structures in the 100–200 year old Shahjahan Park situated between the Taj Mahal and Agra Fort.

3. The Learned Counsel for the applicant submits that in the course of construction pits have been dug up near the roots of century old trees and the green cover have been destroyed and the habitat of birds and butterflies is affected.

9. The applicant is directed to supply a copy of the OA to the Learned Counsel for the respondents within 03 days. The said respondents are directed to file the reply affidavit within 04 weeks.

10. The oral prayer made by the Learned Counsel for the applicant to implead Agra Development Authority as the respondent no.11 is allowed.

12. List on 12.03.2026.

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए वॉछित रिप्लाई/जबाव समयान्तर्गत मा0 अधिकरण के समक्ष योजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3190 /135-3 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा
2. उपाध्यक्ष/सदस्य संयोजक, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहर रेंज, आगरा।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

ANNEXURE-2

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 3188 / 35-3 आगरा, दिनांक, जनवरी, 06-01- 2026

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0– 665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।

संदर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश का संदर्भ ग्रहण करें, छायाप्रति संलग्न। प्रश्नगत प्रकरण जो आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने तथा आगरा–ग्वालियर हाईवे पर हरियाली नष्ट कर सेल्फी प्वाइंट विकसित किये जाने इत्यादि से सम्बन्धित है।

मा0 अधिकरण द्वारा अपने संदर्भित आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के भीतर रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैः–

1. In this original application (OA), the applicant has alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.

5. Further allegation of the applicant is that the Agra Municipal Corporation is illegally raising concrete structure for "selfie point" on the green belt ahead of Madhu Nagar on Gwalior Road. The applicant has also alleged that numerous private individuals have cut trees and erected buildings on the mandatory green belt on both sides of the Highway from the 509 Army Base Workshop to Saiya and the L&T has also indiscriminately cut the trees without obtaining necessary permissions in the metro construction work.

9. The applicant is directed to supply a copy of the OA to the Learned Counsel for the respondents within 03 days. The said respondents are directed to file the reply affidavit within 04 weeks.

12. List on 12.03.2026.

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए वॉछित रिप्लाई / जबाव समयान्तर्गत मा0 अधिकरण के समक्ष योजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3188 / 35-3 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा
2. उपाध्यक्ष / सदस्य संयोजक, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहर रेंज, आगरा।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 3499 /35-3 आगरा, दिनांक, जनवरी, 19-01- 2026

ANNEXURE-3

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शहर रेंज।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0– 665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।**

संदर्भः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 3189/35–3 दिनांक 06.01.2026

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश एवं पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रश्नगत प्रकरण में जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु अभी तक आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कृत कार्यवाही/आख्या से अवगत नहीं कराया गया है।

ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0 05 के रूप में (जिला वन अधिकारी, आगरा) को पक्षकार बनाया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा अपने संदर्भित आदेश से प्रश्नगत प्रकरण में 04 सप्ताह के अन्दर समक्ष पक्षकारों को रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय वॉछित रिप्लाई/जबाव योजित किया जा सके।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3499 /35-3 दिनांकित

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि आप भी उपरोक्तानुसार प्रकरणों की जॉच कर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

ANNEXURE-4

कार्यालय– क्षेत्रीय वन अधिकारी आगरा शहर रेंज आगरा।
पत्रांक– 416/35–3 दिनांक, आगरा 24,जनवरी 2026।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0प्रा0प्रभाग आगरा

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–3499/35–3 दिनांक–19.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि श्री मनोज कुमार, उप क्षे0व0अ0 द्वारा जांच कराई गयी। उनके द्वारा लिखित जांच रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आगरा–ग्वालियर रोड मधु नगर में आगरा से ग्वालियर रोड की दांयी पटरी पर नगर–निगम आगरा द्वारा अवैध रूप से कंक्रीट की संरचना का निर्माण किया गया है। आगरा–ग्वालियर रोड मधु नगर में आगरा से ग्वालियर रोड पर दांयी पटरी पर नगर–निगम आगरा द्वारा वृक्षों का अवैध रूप से पातन किया गया है। महोदय मौके की जांच करने पर पाया कि उक्त निर्माण कार्य में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया गया है। मौके पर वृक्ष सुरक्षित खडे हुए हैं।

अन्य प्रकरण शाहजहां पार्क का है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि शाहजहां पार्क में पाथ वे आदि के निर्माण कार्य में वृक्षों का पातन किया गया है। जिसके कम में श्री रामप्रकाश, वनदरोगा से जांच कराई गयी। उन्होनें अपनी लिखित जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि शाहजहां पार्क वन–विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है एवं मौके का गहनता से निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि मौके पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं हुआ है।

अतः उक्त जांच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
(राजेश्वर यादव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहर रेंज आगरा

Cc / DO Agra Comment
DFO, Agra
24.1.26

ANNEXUE-5

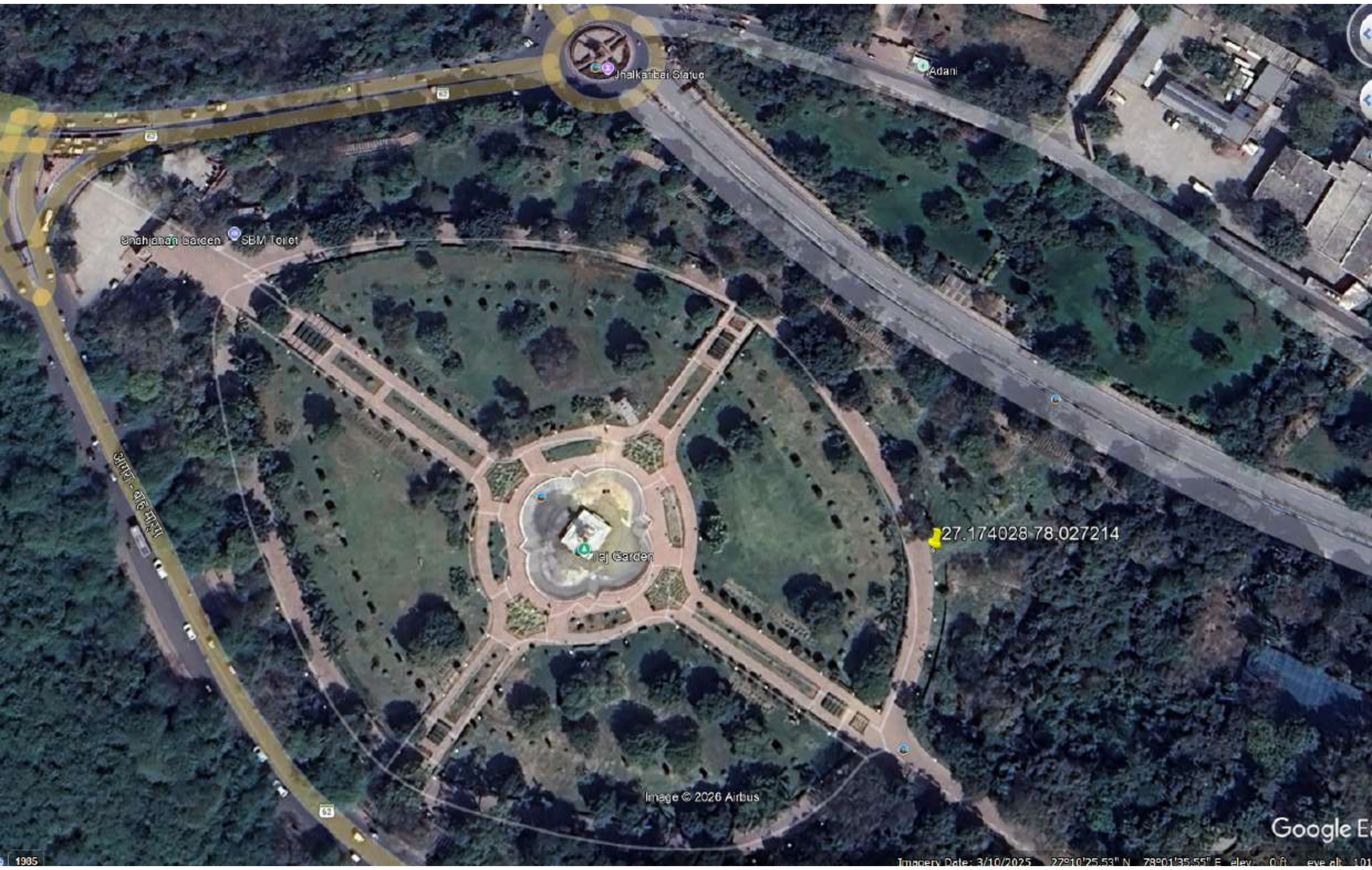
Jhalkaribai Statue
Adani
Shahjahan Garden
SBM Toilet
27.174028 78.027214
Image © 2026 Airbus

कार्यालय, नगर निगम आगरा।

पत्रांकः— 259/डी/उद्यान/2025 दिनांकः— 28.01.2026

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0—665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025

महोदय,

आपके कार्यालय स्वकीय पत्रांक 3188/35—3 आगरा, दिनांक 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने तथा आगरा—ग्वालियर हाईवे पर हरियाली नष्ट कर सेल्फी प्वाइंट विकसित किये जाने व मा0 अधिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के भीतर रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने व आदेश के साथ निर्देशित किया गया है जो कि बिन्दु संख्या—5 में प्रेषित है—

5. Further allegation of the applicant is that the Agra Municipal Corporation is illegally raising concrete structure for "selfie point on the green beltahead of Madhu Nagar on Gwalior Road" The applicant has also alleged that numerous private individuals have cut trees and erected buildings or the mandatory green belt on both sides of the Highway from the 509 Arm Base Workshop to Saiya and the L&T has also indiscriminately cut th trees without obtaining necessary permissions in the metro construction work.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण हेतु दिये गये लक्ष्य अनुरूप शहर के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। मधु नगर में डिफेन्स लैंड के सामने स्थित स्थल पर **इकोग्रीन प्वाइंट** विकसित किया गया है, जहाँ 1796 वृक्ष एवं पौधें लगाये गये जो कि निम्नवत् है—

क्र0 सं0	पौधों की प्रजाति	कुल संख्या	पौधों से होने वाले लाभ
1	डेटपाम	28	**डेटपाम** का पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
2	बुद्ध वेली	340	बुद्ध बेली प्लांट के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे आसपास का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ रहता है।
3	फिकस पान्डा	1030	फिकस की अन्य किस्मों की तरह, यह धूल कणों (dust and particulates) को फंसाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।
4	साइप्रस गोल्डन	30	गोल्डन साइप्रस एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर के अंदर या बाहर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
5	यूफोरबिया मिली	100	यह पौधा पानी जमा करने वाले मोटे, कांटेदार तनों के कारण शुष्क परिस्थितियों में भी अच्छी तरह पनपता है। क्योंकि इसे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। एयर क्वालिटी में सुधार करने और प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद कर सकता है।
6	फाइकस मोकलामे	100	हवा को साफ करने में माहिर है। यह हवा से फॉर्मेल्डिहाइड (formaldehyde) और बेंजीन जैसे हानिकारक प्रदूषकों (toxins) को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है।
7	जेट्रोफा	49	पर्यावरण के लिए एक अत्यंत लाभदायक पौधा है। यह न केवल बायोडीजल का स्रोत है, बल्कि बंजर भूमि को सुधारने और प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8	फर्केरिया	9	यह मुख्य रूप से एक कठोर और कम देखभाल वाला पौधा है। यह पौधा कैडमियम (Cd) जैसी भारी धातुओं से दूषित मिट्टी को साफ करने (phytoextraction) की क्षमता रखता है।
9	फॉक्सटेल पाम	2	फॉक्सटेल पाम एक उत्कृष्ट एयर प्यूरीफायर है। यह हवा से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाकर और CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड) को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे आसपास का वातावरण स्वच्छ बनता है।
10	रेड माचेरा	82	हवा को साफ करने में मददगार है। यह फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde), बेंजीन और अन्य

DFO, Agra

			हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है। यह एक 12 महीने हरा-भरा रहने वाला हार्डी पौधा है।
11	फाइकस स्टारलाइट	26	यह पौधा हवा से फॉर्मलाडेहाइड (formaldehyde), बेंजीन (benzene) और ट्राइक्लोरोएथिलीन (trichloroethylene) जैसे हानिकारक विषैले पदार्थों को हटाता है।
	कुल	**1796**	

(फोटोग्राफ संलग्न है) जिससे पर्यावरण को लाभ होगा एवं सुन्दरता से शहर को हरित शहर के रूप में दर्शाया जा सकेगा।

उक्त स्थल पर नगर निगम आगरा द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया गया है, लगे हुये वृक्ष यथास्थित है (कार्य से पूर्व की फोटोग्राफ संलग्न है)। पोधों को रोपित किये जाने हेतु मिटट्ी भराव, खाद, पानी को रोकने व जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु एक ढाँचा तैयार किया गया है, जिससे वृक्षों का रख–रखाव सुरक्षित प्रकार से किया जा सकें। तद् दिनांक तक उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा 1,796 वृक्ष एव पौधें रोपित किये गये है।
(फोटोग्राफ संलग्न)

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

1. मंडलायुक्त/अध्यक्ष टी0टी जेड0 प्राधिकरण आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

BEFORE

AFTER

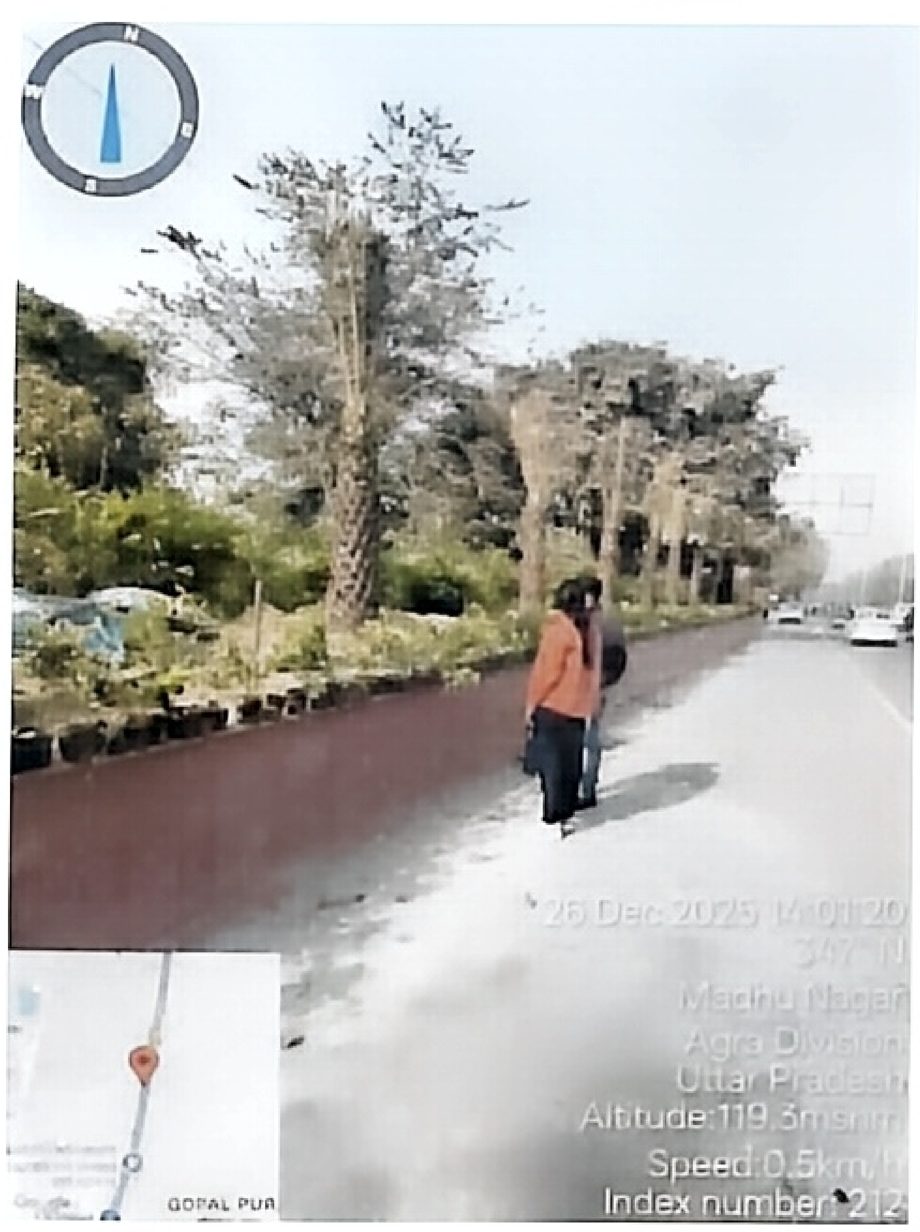

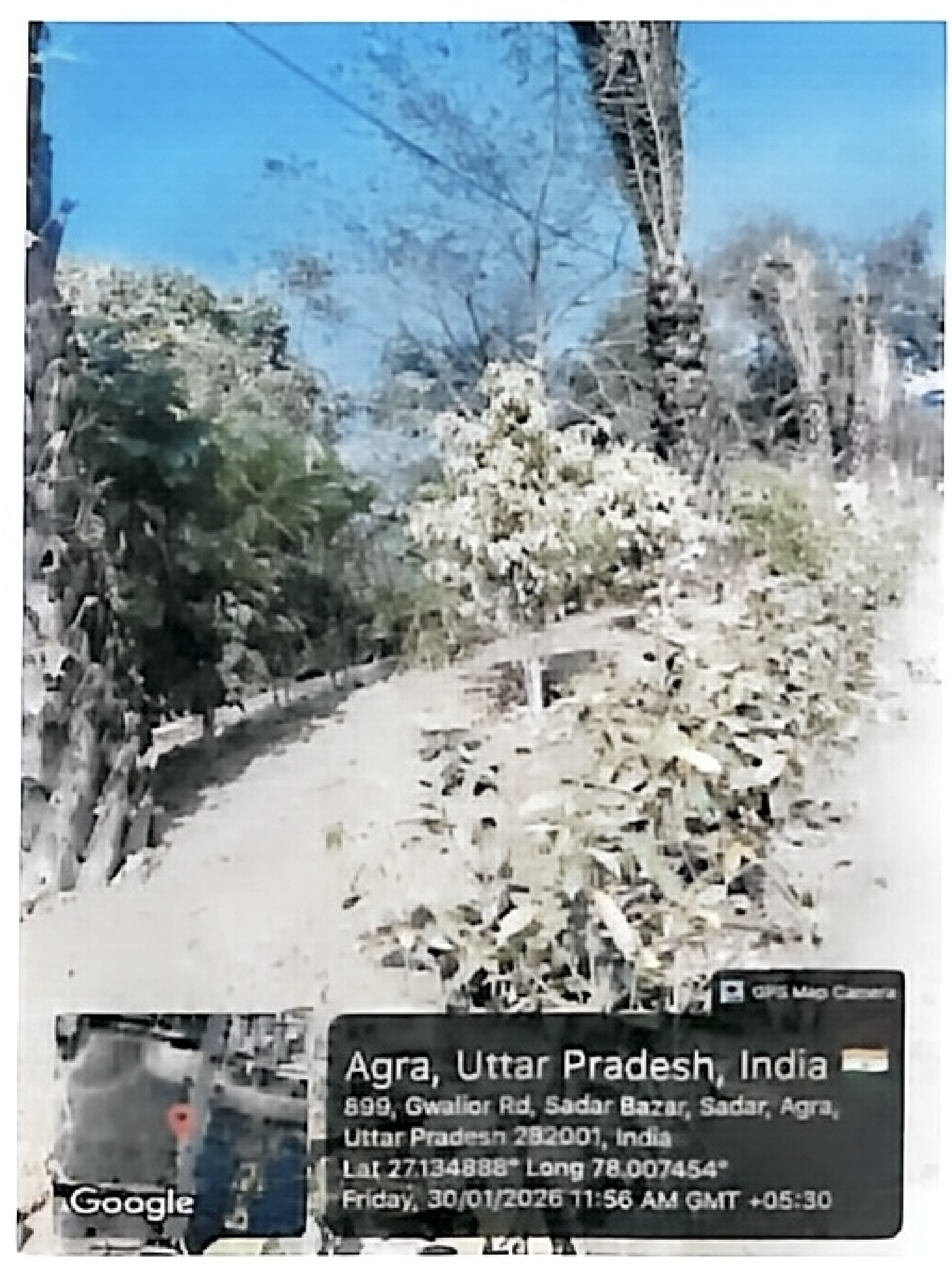

ANNEXURE-6

आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 4547/D/EE-2/26 दिनांक :– 07/03/26

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.25

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्रांक–3190/35–3 दिनांक 06.01.26, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.25 से सम्बन्धित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं :–

1. *In this original application (OA), the applicant has alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.*
2. *The applicant alleges that the Agra Development Authority is constructing kiosks, paved paths, and brick-cement structures in the 100-200 year old Shahjahan Park situated between the Taj Mahal and Agra Fort.*
3. *The Learned Counsel for the applicant submits that in the course of construction pits have been dug up near the roots of century old trees and the green cover have been destroyed and the habitat of birds and butterflies is affected.*

9. *The applicant is directed to supply a copy of the OA to the Learned Counsel for the respondents within 03 days. The said respondents are directed to file the reply affidavit within 04 weeks.*
10. *The oral prayer made by the Learned Counsel for the applicant to implead Agra Development Authority as the respondent no. 11 is allowed.*

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शाहजहां पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए.एस.आई की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जांच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा के आदेश सं0–136/डी/ईई–1/25 दिनांक 01.10.25 **(संलग्नक–1)** एवं अनुमोदन दिनांक 09.10.2025 के क्रम में निर्गत पत्र संख्या–175/डी/ई0ई0–2/25, दिनांक 10.10.2025 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से समिति गठित की गई। गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.10.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रांक–268/डी/ई0ई0–2/2025, दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से समिति की आख्या मण्डलायुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी **(संलग्नक–3)**। गठित समिति द्वारा दिया गया अभिमत निम्नवत् है :–

"1. शाहजहां पार्क में थीमेटिक ट्रॉसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।

DFO, Agra
9/3/26

Scanned with OKEN Scanne

2. *स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुक्सान न हो।''*

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि गठित समिति द्वारा दिनांक 27.10.2025 को किये गये स्थलीय निरीक्षण से वर्तमान तक स्थल पर कार्य पूर्ण रूप से बन्द है।

संलग्नक :– <u>यथोपरि।</u>

Digitally signed by
Shraddha Shandilyayan
Date: 07-03-2026
16:17:28

सचिव
आ.वि.प्रा., आगरा

प्रतिलिपि :–

1. मण्डलायुक्त महोदय/अध्यक्ष–टी.टी.जेड अथॉरिटी, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष महोदया, आ.वि.प्रा., आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को उनके पत्र सं0–1002/एल–294/2026 दिनांक 27.02.2026 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
आ.वि.प्रा., आगरा

Scanned with OKEN Scanne

कार्यालय–आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

पत्रांक 136/सी/ई–डी/2025   दिनांक 01-10-2025

आदेश

शाहजहां पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के सम्बन्ध में कार्यालय उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक–1078–02/उद्यान/2025–26/आगरा दिनांक 15.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़–पौधों को क्षति पंहुचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाड़ी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के नियमानुसार परीक्षण एवं जांच हेतु सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में परीक्षण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

1.	सचिव, आ0वि0प्रा0	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, आ0वि0प्रा0	सदस्य
3.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई	सदस्य
4.	उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल	सदसय
5.	एस0डी0ओ0, वन विभाग, आगरा	सदस्य
6.	~~अधीक्षण~~ अभियंता, नगर निगम, आगरा	सदस्य

उपर्युक्त गठित समितिं स्थल का निरीक्षण करते हुये पौधों के संरक्षण, एस.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये अपनी सुस्पष्ट सुसंगत आख्या दिनांक 10.10.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करे। संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त

पत्रांक:-136/सी/ई-डी/2025 दि0 01-10-2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव।
2. समस्त समिति सदस्यगण।
3. गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :– 175/D/EE-2/25 दिनांक :– 10/10/25

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,

आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के संलग्न पत्रांक 136/डी/ईई–1/2025 दिनांक 01.10.25 के द्वारा गठित समिति में प्रभारी मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सदस्य संयोजक के रूप में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.10.25 को प्रदान कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार गठित समिति के साथ स्थल का निरीक्षण कराते हुये पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये समिति की सुस्पष्ट सुसंगत आख्या एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(एम. अरून्मोली)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. वित्त नियन्त्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
4. अधीक्षण पुरातत्वविद, ए.एस.आई., आगरा
5. उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा।
6. एस.डी.ओ., वन विभाग, आगरा।
7. ~~अधिशासी~~ अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।

उपाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 268 / डी/EE-2/ 2025, दिनांक : 02 / 12 / 2025

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

विषय : शाहजहाँ पार्क के पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय आदेश पत्रांक–136/डी./ई.ई.–1/2025, दिनांक 01.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के संबंध में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक–1078–82/ उद्यान/2025–26/आगरा, दिनांक 15.09.2025 के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़–पौधों को क्षति पहुँचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाडी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 के क्रम में परीक्षण एवं जाँच हेतु समिति गठित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित समिति की संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

कृपया उपरोक्तानुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक :– संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में।

भवदीया

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा। 01/12

प्रतिलिपि :– 3/12/25
1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता को आ0का0 हेतु।

3/12/25

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा। 02/12

Scanned with OKEN Scanne

पौधों की सुरक्षा, ए0एस0आई0 की आख्या

शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए0एस0आई0 की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जॉच हेतु गठित समिति की आख्या

दिनांक 27.10.2025 को शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए0एस0आई0 परिधि एवं कम्पोजिट प्लान के परीक्षण एवं जॉच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सचिव महोदया, आ.वि.प्रा. की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों द्वारा शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफोर्मेशन के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे–

1. श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
2. श्री शिवनाथ सिंह, वित्त नियंत्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. श्री डी0पी0 यादव, उपनिदेशक (उद्यान), आगरा।
4. श्री अरविन्द मिश्रा, एस0डी0ओ0, वन विभाग, आगरा।
5. श्री एस0सी0 मीना, डी0एस0एच0, ए0एस0आई0, आगरा।
6. श्री संजीव कुमार, मुख्य अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
7. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
8. श्री रजनीश पाण्डे, उद्यान अधीक्षक, उद्यान विभाग, आगरा।
9. श्री एस0डी0 पालीवाल, सहायक अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
10. श्री राजकपूर, अवर अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
11. श्री राघवेन्द्र सिंह, सर्वेयर, ए0एस0आई0, आगरा।

स्थल निरीक्षण के समय पाया गया कि शाहजहाँ पार्क में कुल 22 स्थानों पर स्कल्पचर्स स्थापित किये जाने थे, जिनमें से मौके पर 19 स्थानों पर ही कार्य प्रारम्भ हुआ है। समिति द्वारा निम्नानुसार स्कल्पर्स का निरीक्षण किया गया–

1. **सन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य एवं उक्त के चारों ओर 03 मीटर चौडाई में ग्राउण्ड ग्रीन वॉकिंग पाथ–वे बनाये जाने हेतु ब्रिक टो–वॉल का निर्माण कराया गया है।
2. **गोल्डन पैरागोडा ऑफ नराशयी** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट फाउण्डेशन एवं कॉलम तथा ब्रिक वॉल का कार्य 01 से 1.5 मीटर ऊँचाई तक किया गया है, साइड में खुदाई का कार्य भी किया गया हैं, ग्रीन पाथ–वे की टो–वॉल हेतु खुदाई का कार्य किया गया है तथा कुछ जगह पर आंशिक रूप से टो–वॉल डालने का कार्य किया गया है।
3. **ककटिया रूद्राक्ष** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य कराया गया है।
4. **नालन्दा महावीरा** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य हुआ है।
5. **गोल्डन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, 01 मीटर की खुदाई में पेडों की जड़े आ जाने के कारण खुदाई का कार्य बन्द है।
6. **रंग घर** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था।
7. **हवामहल फाउण्डेशन** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।

8. **रनकपुर जैन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।
9. **रानी का बाग** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
10. **केदारनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
11. **हम्पी स्टोन चैनीओट** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु हल्की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
12. **सांची स्तूप** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य करते हुये ग्रीन पाथ–वे हेतु नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल तक ब्रिक टो वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। स्थल पर एक स्थान पर पेड की जडें आने के कारण टो वॉल का कार्य वहॉं रूकवा दिया गया है।
13. **सारनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
14. **राम मंदिर अयोध्या** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ करते हुये ग्रीन पाथ–वे के कुछ स्थानों पर टो वॉल हेतु ब्रिक वॉल का कार्य कराया जाना पाया गया। कुछ स्थानों पर पेड की जडें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
15. **रामेश्वर टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
16. **लक्ष्मण टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
17. **एलोरा कैलाश टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
18. **पार्श्वनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
19. **काशी विश्वनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

स्थल पर उपस्थित आगरा विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि–

- पूर्व में परियोजना में स्कल्पचर के चारों ओर बनाये जाने वाले पाथ–वे पर पत्थर लगाया जाना था परन्तु संबंधित आर्किटैक्ट द्वारा स्कल्पचर के साथ चारों तरफ प्लेटफार्म बनाते हुये ग्रीन पाथ–वे में परिवर्तित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार स्थल पर निर्माण क्षेत्रफल पूर्व प्रस्तावित 5533.42 वर्गमीटर से घटकर 1265.303 वर्गमीटर रह जाता है।
- प्रश्नगत स्थल पर कुल 22 स्कल्पचर्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से 03 स्कल्पचर्स

आगरा मैट्रो के एलाइनमेन्ट में होने के कारण उनके स्थान परविर्तित किये जाने का निर्णय लिया जाना है परन्तु अभी तक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है। जिससे प्रस्तावित परियोजना में 700.63 वर्गमीटर जमीन प्रभावित होना सम्भावित है, जो कि 1265.303 वर्गमीटर में सम्मिलित है।

- स्थल पर निर्माणाधीन/प्रस्तावित स्कल्पचर्स पार्क के निर्मित मार्ग के लेबिल के अनुसार रखा जाना है। जिस हेतु स्थलानुसार नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल से 0.5 मीटर से 2.0 मीटर तक ऊँचाई पर स्कल्पचर्स लगाया जाना है।
- ए0एस0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि शाहजहाँ पार्क की सीमा से कई राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा सटी हुई है, 1-Khan-i-Alam's Bagh together with the new tank near the Taj, 2-Entrance gateway to Khan-e-Alam's bagh, 3-Saheli Burj No. 4, west of outer wall round Taj gardens, 4-Tank near the Fatehpuri Masjid on the south-west corner of outer entrance to, 5-Fatehpuri Masjid on south-west corner of outer entrance to the Taj. ऐसी स्थिति में शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जाए।

समिति का अभिमत :

1. शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।
2. स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुकसान न हो।

अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।

एस0डी0ओ0,
वन विभाग, आगरा।

उप निदेशक, उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

11/2025

अधीक्षण पुरातत्वविद्
ए0एस0आई0, आगरा।

मुख्य अभियन्ता,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

वित्त नियंत्रक,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

ANNEXURE-7

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 268 / डी / EE-2 / 2025, दिनांक : 02 / 12 / 2025

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

विषय : शाहजहाँ पार्क के पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का परीक्षण व जॉच हेतु गठित समिति की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय आदेश पत्रांक–136 / डी. / ई.ई.–1 / 2025, दिनांक 01.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के संबंध में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक–1078–82 / उद्यान / 2025–26 / आगरा, दिनांक 15.09.2025 के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़–पौधों को क्षति पहुँचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाडी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 के क्रम में परीक्षण एवं जॉच हेतु समिति गठित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित समिति की संयुक्त जॉच आख्या मूल रूप में संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

कृपया उपरोक्तानुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक :– संयुक्त जॉच आख्या मूल रूप में।

भवदीया

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

प्रतिलिपि :–
1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता को आ0का0 हेतु।

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

Scanned with OKEN Scanne

शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए0एस0आई0 की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या

दिनांक 27.10.2025 को शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए0एस0आई0 परिधि एवं कम्पोजिट प्लान के परीक्षण एवं जॉच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सचिव महोदया, आ.वि.प्रा. की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों द्वारा शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफोर्मेशन के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे–

1. श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
2. श्री शिवनाथ सिंह, वित्त नियंत्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. श्री डी0पी0 यादव, उपनिदेशक (उद्यान), आगरा।
4. श्री अरविन्द मिश्रा, एस0डी0ओ0, वन विभाग, आगरा।
5. श्री एस0सी0 मीना, डी0एस0एच0, ए0एस0आई0, आगरा।
6. श्री संजीव कुमार, मुख्य अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
7. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
8. श्री रजनीश पाण्डे, उद्यान अधीक्षक, उद्यान विभाग, आगरा।
9. श्री एस0डी0 पालीवाल, सहायक अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
10. श्री राजकपूर, अवर अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
11. श्री राघवेन्द्र सिंह, सर्वेयर, ए0एस0आई0, आगरा।

स्थल निरीक्षण के समय पाया गया कि शाहजहाँ पार्क में कुल 22 स्थानों पर स्कल्पचर्स स्थापित किये जाने थे, जिनमें से मौके पर 19 स्थानों पर ही कार्य प्रारम्भ हुआ है। समिति द्वारा निम्नानुसार स्कल्पर्स का निरीक्षण किया गया–

1. **सन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य एवं उक्त के चारों ओर 03 मीटर चौडाई में ग्राउण्ड ग्रीन वॉकिंग पाथ–वे बनाये जाने हेतु ब्रिक टो–वॉल का निर्माण कराया गया है।
2. **गोल्डन पैरागोडा ऑफ नराशयी** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट फाउण्डेशन एवं कॉलम तथा ब्रिक वॉल का कार्य 01 से 1.5 मीटर ऊँचाई तक किया गया है, साइड में खुदाई का कार्य भी किया गया हैं, ग्रीन पाथ–वे की टो–वॉल हेतु खुदाई का कार्य किया गया है तथा कुछ जगह पर आंशिक रूप से टो–वॉल डालने का कार्य किया गया है।
3. **ककटिया** रूद्राक्ष स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य कराया गया है।
4. **नालन्दा महावीरा** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य हुआ है।
5. **गोल्डन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापिता करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, 01 मीटर की खुदाई में पेडों की जड़े आ जाने के कारण खुदाई का कार्य बन्द है।
6. **रंग घर** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था।
7. **हवामहल फाउण्डेशन** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।

8. **रनकपुर जैन टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।

9. **रानी का बाग** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।

10. **केदारनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।

11. **हम्पी स्टोन चैनीओट** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु हल्की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।

12. **सांची स्तूप** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य करते हुये ग्रीन पाथ–वे हेतु नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल तक ब्रिक टो वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। स्थल पर एक स्थान पर पेड की जडें आने के कारण टो वॉल का कार्य वहॉं रूकवा दिया गया है।

13. **सारनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

14. **राम मंदिर अयोध्या** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ करते हुये ग्रीन पाथ–वे के कुछ स्थानों पर टो वॉल हेतु ब्रिक वॉल का कार्य कराया जाना पाया गया। कुछ स्थानों पर पेड की जडें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।

15. **रामेश्वर टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

16. **लक्ष्मण टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

17. **एलोरा कैलाश टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

18. **पार्श्वनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

19. **काशी विश्वनाथ टैम्पल** स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

स्थल पर उपस्थित आगरा विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि–

- पूर्व में परियोजना में स्कल्पचर के चारों ओर बनाये जाने वाले पाथ–वे पर पत्थर लगाया जाना था परन्तु संबंधित आर्किटैक्ट द्वारा स्कल्पचर के साथ चारों तरफ प्लेटफार्म बनाते हुये ग्रीन पाथ–वे में परिवर्तित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार स्थल पर निर्माण क्षेत्रफल पूर्व प्रस्तावित 5533.42 वर्गमीटर से घटकर 1265.303 वर्गमीटर रह जाता है।
- प्रश्नगत स्थल पर कुल 22 स्कल्पचर्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से 03 स्कल्पचर्स

आगरा मैट्रो के एलाइनमेन्ट में होने के कारण उनके स्थान परविर्तित किये जाने का निर्णय लिया जाना है परन्तु अभी तक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है। जिससे प्रस्तावित परियोजना में 700.63 वर्गमीटर जमीन प्रभावित होना सम्भावित है, जो कि 1265.303 वर्गमीटर में सम्मिलित है।

- स्थल पर निर्माणाधीन/प्रस्तावित स्कल्पचर्स पार्क के निर्मित मार्ग के लेबिल के अनुसार रखा जाना है। जिस हेतु स्थलानुसार नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल से 0.5 मीटर से 2.0 मीटर तक ऊँचाई पर स्कल्पचर्स लगाया जाना है।
- ए0एस0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि शाहजहाँ पार्क की सीमा से कई राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा सटी हुई है, 1-Khan-i-Alam's Bagh together with the new tank near the Taj, 2-Entrance gateway to Khan-e-Alam's bagh, 3-Saheli Burj No. 4, west of outer wall round Taj gardens, 4-Tank near the Fatehpuri Masjid on the south-west corner of outer entrance to, 5-Fatehpuri Masjid on south-west corner of outer entrance to the Taj. ऐसी स्थिति में शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जाए।

समिति का अभिमत :

1. शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।
2. स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुकसान न हो।

अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।

एस0डी0ओ0,
वन विभाग, आगरा।

उप निदेशक, उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

अधीक्षण पुरातत्वविद्
ए0एस0आई0, आगरा।

मुख्य अभियन्ता,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

वित्त नियंत्रक,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा।

ANNEXURE-8

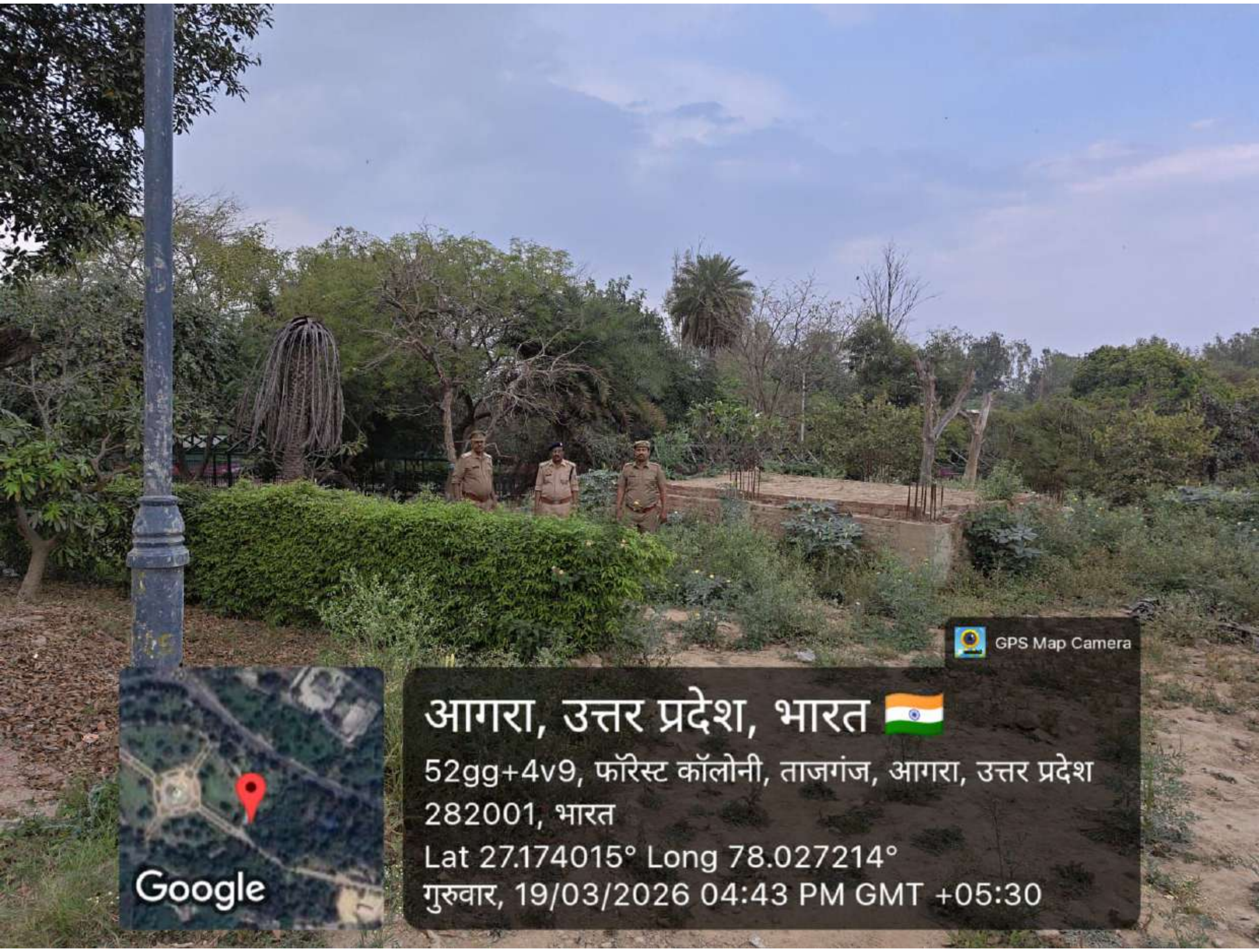
GPS Map Camera
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत
52gg+4v9, फॉरेस्ट कॉलोनी, ताजगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001, भारत
Lat 27.174015° Long 78.027214°
गुरुवार, 19/03/2026 04:43 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत
37a, Nai Basti, Road, Agra, Uttar Pradesh 282001, भारत, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001, भारत
Lat 27.172981° Long 78.02941°
गुरुवार, 19/03/2026 04:48 PM GMT +05:30
Google